राजस्व मंडल

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर श्रृंखला न्यायालय रीवा (म.प्र.)

R-2327-I/12

1. मुस. बंसती बेबा स्व. लल्लू गिरी उम्र–75 वर्ष,
2. बैद्यनाथ गिरी उम्र–45 वर्ष पेशा–वकालत,
3. समयलाल गिरी उम्र–43 वर्ष पेशा–खेती,
4. इन्द्राज गिरी उम्र–40 वर्ष पेशा–खेती,
5. शास्त्री गिरी उम्र–35 वर्ष पेशा–खेती,
6. राकेश गिरी उम्र–32 वर्ष पेशा–खेती,

(क्र. 2 से 6) पिसरान स्व. श्री लल्लू गिरी

7. श्रीमती रामकली गिरी पत्नी ढकेलू गिरी उम्र–44 वर्ष पेशा–गृहकार्य,
8. श्रीमती बड़े गिरी पत्नी बाबूलाल गिरी उम्र–37 वर्ष पेशा–गृहकार्य,
9. श्रीमती सरोज गिरी पत्नी दयाशंकर गिरी उम्र–37 वर्ष पेशा–गृहकार्य,
10. श्रीमती प्रेमवती गिरी पत्नी भुअर गिरी उम्र–30 वर्ष पेशा–गृहकार्य
11. भगवान तनय स्व. श्री जगपति गिरी उम्र–61 वर्ष पेशा–खेती,
12. श्रीमती श्यामवती पत्नी धर्मराज गिरी उम्र–38 वर्ष पेशा–गृहकार्य

सभी निवासी ग्राम–बरिगवां तहसील–चुरहट जिला–सीधी (म.प्र.)

............................पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. म.प्र. शासन,
2. मुस. गल्ली बेबा शिवपाल कोल उम्र–80 वर्ष, पेशा–गृहकार्य
3. मुन्नी पुत्री शिवपाल कोल उम्र–50 वर्ष, पेशा–गृहकार्य
4. बतसिया उम्र–45 वर्ष, पेशा–गृहकार्य
5. सुमित्री उम्र–43 वर्ष, पेशा–गृहकार्य

(क्र. 4 व 5) पिसरान स्व. श्री परसादे कोल

6. गोपाल तनय जगजाहिर कोल उम्र–50 वर्ष पेशा–खेती

सभी निवासी ग्राम–बरिगवां तहसील–चुरहट जिला–सीधी (म.प्र.)

..................................उत्तरार्थीगण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील चुरहट जिला–सीधी के राजस्व प्रकरण क्र. 4/अ–12/2005–06 में पारित आदेश दिनांक–19.03.2012

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण के सूक्ष्म तथ्यः–

(अ) यह कि गैर निगरानीकर्तागण ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने स्वत्व आधिपत्य की आराजी खसरा क्र.3269 रकवा 0.49, 3270 रकवा 2.63, 3271 रकवा 1.74 किता 3 योग रकवा 4.86 है. स्थित ग्राम–बरिगवां तहसील चुरहट जिला–सीधी के सीमांकन के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था और विचारण न्यायालय के आदेशानुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा जो नाप जोख की गई उसमें निगरानीकर्तागण के स्वत्व की भूमि को गैरनिगरानीकर्तागण के स्वत्व में नाप दिया गया, जिससे निरागनीकर्तागण के स्वत्व आधिपत्य में एक आवरण उत्पन्न हो गया।

(ब) यह कि उक्त सीमांकन की जानकारी होने के बाद निगरानीकर्तागण ने विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करते हुये यह निवेदन किया कि आवेदित आराजियात का एवं निगरानीकर्तागण के आराजियात का नक्शा नये बन्दोवस्त के दौरान मौके के स्थिति के विपरीत निर्मित किया गया है जिसे दुरूस्त करने के लिये निगरानीकर्तागण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष ही नक्शा सुधार का आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो राजस्व प्रकरण क्र.16/अ–5/2011–12 के रूप में पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है और जब तक नक्शा संशोधन की कार्यवाही पूर्ण न हो जाये तब तक सीमांकन की पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नही होगा। इसके बाबजूद भी उक्त आपत्ति में अन्य कई बिन्दु और भी उठाये गये थे किन्तु उन पर विचार किये बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह आलोच्य आदेश पारित किया गया है जिससे व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा उन्मानी पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

पुनरीक्षण के आधार

1. यह कि विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि प्रक्रिया एवं सहज न्याय सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.2327–I / 12 जिला–सीधी

श्रीमती बसंती वगैरः / शासन, श्रीमती गल्ली कोल वगैरः

(1)	(2)	(3)
22.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता उपस्थित नहीं है। 3. अनावेदक क्रमांक 3,4 की ओर से उनके अभिभाषक श्री रामनाथ पटेल एड0 उपस्थित। 4. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 5. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	